न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान मोहनी बाई बनाम तहसीलदार अटरू

किस्म मुकदमा धारा-223 अकील संख्या 2024/52

अभिभाषक अपीलान्ट हजारी लाल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
23/4/2025	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य से बाहर/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09-7-2025 को पेश हो। (signature) राडर भू-प्रबध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	
9.7.25	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक को एक-एक तीन बार आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है किन्तु अभि. अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंटगण को नोटिस सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. करवाये जाकर अभी तक न्यायालय में पेश नहीं किये है। इस हेतु अभिभाषक अपीलांट को पर्याप्त अवसर भी दिये जा चुके है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (signature) (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	R-2 नोटिस ओके भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ★ कोटा ★

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा केम्प, बारॉ

1— श्रीमति मोहनीबाई आयु 80 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि प्रेमबिहारी जाति लुहारनि वासी दीवाली हाल कूण्डी तहसील अटरू जिला बारॉ

2— श्रीति संतोषबाई आयु 55 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि हेमराज जाति लुहार निवासी दीवाली हाल सहरोद तहसील अटरू जिला बारॉ

——अपीलान्ट्स / वादीगण

::— बनाम ::—

1— राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां

2— सागर आयु 19 वर्ष पुत्र गोकुल जाति लुहार निवासी मकान नंबर 40 बॉम्बे योजना कंसुआ पोस्ट कंसुआ जिला कोटा

——रेस्पो0 / प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 टी0 एक्ट विरूद्ध दावा निर्णय एंव डिकी दिनांक 6/10/2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अटरू, मिसल नंबर 171/2021 वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 91,92 ए राज0 सरकार ~~टी0 एक्ट~~ बउनवान श्रीमति मोहनीबाई वगेरा बनाम राज0 सरकार वगैरा

मान्यवर,

अपीलान्ट्स निम्न आधारो पर अपील प्रस्तुत करते हे:—

01. यह कि वादीगण ने अधिनस्थ न्यायालय मे धारा 88, 89, 91, 92 ए राज0 टी0एक्ट के तहत वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि ग्राम दीवाली